

पत्रांक - ई०एल०एस०-18/2019-
प्रेषक

पटना, दिनांक जून, 2020 ई०।

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर प्रतिनियुक्त कर्मी श्री राहुल कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय, बेरकप को ₹18,000/- (अठारह हजार रुपये) मात्र का चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दिये जाने के कारण श्री सिंह को ₹18,000/- (अठारह हजार रुपये) मात्र का भुगतान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- यह राशि मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की स्वीकृति असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास द्वारा शुद्धता एवं अनुमान्यता के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-2025/निर्वा० दिनांक 16.10.2019 एवं पत्रांक-2189, दिनांक-04.12.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-2442(14) दिनांक 24.11.2004, संकल्प सं०-14/विधि-04/2006-1182(14) दिनांक 02.06.2006, संकल्प सं०-1070(14) दिनांक 20.05.2006 एवं संकल्प सं०-14/विधि-09/2015-946 (14) दिनांक 14.08.2015 में निहित प्रावधानों एवं विभागीय पत्रांक-1178, दिनांक-07.03.2019 के आलोक में दी जा रही है।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा श्री राहुल कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय, बेरकप, ग्राम- बेरकप, पो०-दरिहट, जिला-रोहतास की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व श्री राहुल कुमार सिंह से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि श्री सिंह द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
- पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-988, दिनांक-24.03.2020 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापक :- ई०एल०एस०-18/2019-

पटना, दिनांक जून, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- श्री राहुल कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय, बेरकप, ग्राम- बेरकप, पो०-दरिहट, जिला-रोहतास, पिन-कोड-821306, जिला-रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-18/2019-

पटना, दिनांक जून, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-18/2019-

पटना, दिनांक जून, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास को (मूल अभिश्रव सहित) स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु:- यथोक्त:-

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-18/2019-

पटना, दिनांक जून, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरुद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

ह०/-

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-18/2019-

1365

पटना, दिनांक 25 जून, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, आईटी0 मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को CEO Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/6
(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

-सह-सरकार के सचिव।